आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.R Case No. -17/2006-07

शेख शमशेर एवं अन्य **बनाम** फातिमा बीबी।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक–07.09.2006 को पारित आदेश के विरूद्ध रिवीजन है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक–07.09.2006 में दिनांक–07.09.2006 के द्वारा

1. शेख शमशेर पिता–शेख सुलेमान व शेख गुडू, पिता–शेख शाही, व शेख रूस्तम पिता–स्व0 शेख रहीम निवासी–धाँधड़ा को मौजा–धाँधड़ा को दाग सं0–488 के अंश रकवा–0.23 डी0 से
2. शेख रूस्तम पिता–शेख अब्दुल रहीम व शेख समसेर पिता–स्व0 शेख सुलेमान निवासी धाँधड़ा को मौजा–धाँधड़ा को दाग सं0–345 का अंश रकवा–0.24 डी0 से
3. शेख कुरवान, पिता–शेख स्व0 मैजुल निवासी धाँधड़ा को धाँधड़ा दाग सं0–488 अंश रकवा–0.03 डी0 एवं मौजा–पाथरचापड़ा दाग सं0–189 आंशिक रकवा–0.08 डी0 व दाग सं0–200 अंश रकवा–0.17 डी0 से
4. सलीम मियाँ पिता–हाबु मियाँ, निवासी–पाडेड़िया, हाल में धाँधड़ा को मौजा–धाँधड़ा के दाग सं0–500 अंश रकवा–0.01 डी0 से
5. अरूण साह, नन्दु साह, रंजीत साह, अरबिंद साह, सरकार साह सभी पिता–प्यारेलाल साह, निवासी जामताड़ा मौजा–धाँधड़ा को दाग सं0–500 के अंश रकवा–0.72 डी0 से
6. मनोज कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता दोनो पिता स्व0 वेदप्रकाश गुप्ता निवासी धाँधड़ा को मौजा–धाँधड़ा को दाग सं0–505,507 एवं 508 के क्रमशः अंश रकवा–0.04 डी0, 0.21 डी0 एवं 0.15 डी0 से
7. विवेक कुमार लच्छीरामका पिता–स्व0 प्रहलाद लच्छीरामका निवासी–जामताड़ा को मौजा–धाँधड़ा को दाग सं0–508 के अंश रकवा–0.05 डी0 से

उच्छेद करने हेतु अंचल अधिकारी जामताड़ा को आदेश दिया गया है।

पक्षकार के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वे मौजा–धाँधड़ा के जमाबंदी नं0–3 एवं मौजा–पाथरचापड़ा के जमाबंदी सं0–2 के जमाबंदी रैयत है। उक्त जमाबंदी के गत सर्वे सेटेलमेंट खतियान में अभिलेखित खतियानी रैयत में शेख औलाद है, जो सभी पक्षकार के पूर्वज है। मौजा–धाँधड़ा के जमाबंदी नं0–3 एवं मौजा–पाथरचापड़ा के जमाबंदी सं0–2 वाद R.E. Case No-12/2002-03 का विषयवस्तु है। पक्षकार संख्या–01. शेख समसेर खतियानी रैयत शेख औलाद का पुत्र शेख अब्दुल का पुत्र सुलेमान का पुत्र है। पक्षकार संख्या–02. शेख सफीउल खतियानी रैयत शेख औलाद का पुत्र शेख अब्दुल का पुत्र रूस्तम का पुत्र है। पक्षकार संख्या–03. शेख मोहिद खतियानी रैयत शेख औलाद का पुत्र शेख अब्दुल का पुत्र रूस्तम का तृतीय पुत्र है। शेख मोहिद के स्थान पर उनके पुत्र साजिद शेख, शहीद शेख एवं वाजिर शेख का प्रतिस्थापित किया गया है। पक्षकार संख्या–04. शेख सलीम @ गुडू खतियानी रैयत शेख औलाद का पुत्र शेख अब्दुल का पुत्र रूस्तम का द्वितीय पुत्र है। खतियानी रैयत शेख औलाद के दो पुत्री रहीमन बीबी एवं मरियम बीबी थे। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के T.S.Case NO-01/1945 में रहीमन बीबी एवं मरियम बीबी के पैत्रिक सम्पत्ति का बँटवारा के लिये शेख गफुर, शेख अब्दुल एवं हमीदन बीबी कि विरूद्ध वाद दायर किया गया। वाद का निर्णय रहीमन बीबी को 7/48 वाँ अंश पंच के माध्यम से प्राप्त हुआ। रहीमन बीबी के इस प्रश्नगत अंश भूमि का मोदिना बीबी द्वारा आपत्ति करते हुए R.E.Case किया गया। लेकिन उनके द्वारा उक्त भूमि पर दखल कब्जा नहीं किया गया है। मूलतः रहीमन बीबी के पुत्र शेख जलील को प्रश्नगत जमीन प्राप्त हुआ। शेख जलील का मृत्यु निःसंतान होने के कारण उक्त सम्पत्ति उनके माता रहीमन बीबी को वापस होते हुए उनके वंशज को वापस होना चाहिए। विपक्षी मोदिना बीबी पति–स्व0 जुलु उर्फ जलील शेख द्वारा इस सम्पूर्ण सम्पत्ति का दावा किया जा रहा है जबकि हनीफ स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ के अनुसार विधवा को 1/8 अंश जमीन प्राप्त होगा, इसका निर्धारण भी व्यवहार न्यायालय द्वारा होना चाहिए। यदि मोदिना बीबी जलील शेख का उत्तराधिकारी प्रमाण करता है तो उसे केवल 1/8 वाँ अंश जमीन ही प्राप्त होगा। शेष जमीन खतियानी रैयत के वंशज शेख अब्दुल, शेख गफुर एवं रहीमन बीबी का भाई को प्राप्त होगा।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता अनुपस्थित।

एक पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक-07.09.2006 को पारित आदेश में अंकित है "मोदिना बीबी की ओर से लिखित आवेदन में कहा गया कि मौजा-धाँधड़ा के जोत सं0-3 के दाग सं0-345,488,500,505,508 एवं मौजा-पाथरचापड़ा के जोत सं0-2 के दाग सं0-189 एवं 200 सर्वे खतियान में शेख औलाद अली के नाम से दर्ज है। उन्होंने शेख औलाद अली से अपना रिश्ता दिखाने के लिए वंशावली प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार शेख औलाद अली के दो पुत्र थे यथा गफुर शेख एवं अब्दुल शेख तथा दो पुत्रीयाँ थी यथा मरियम बीबी एवं रहीमन बीबी। रहीमन बीबी के एक पुत्र था जलील शेख एवं मोदिना बीबी स्वंय को जलील शेख की पत्नी बताती है। आवेदिका ने अपने बताया कि मरियम बीबी व रहीमन बीबी ने अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा क न्यायालय में स्वत्व वाद सं0-1/45 दायर किया एवं उक्त वाद में सभी पक्षों के बीच समझोता हुआ था जिसमें सभी पक्षों को अपना-अपना हिस्सा पंच के द्वारा बांट दिया गया था। उक्त बंटवारे रहीमन बीबी को निम्नलिखित भूमि प्राप्त हुई :-

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	किस्म	रकवा
धाँधड़ा नं0-6	3	345	धानी III	0.24 डी0
		488	धानी III	0.26 डी0
		500	बाड़ी II	0.72 डी0
		505	बाड़ी II	0.44 डी0
		508	बाड़ी II	0.20 डी0
पाथरचापड़ा नं0 34	2	189	धानी III	0.08 डी0
		200	धानी II	0.17 डी0

आवेदिका ने आगे बताया कि रहीमन बीबी को एक ही पुत्र जिसका नाम जलील शेख था एवं उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी सम्पत्ति का वारिस बना। आवेदिका का कहना है कि वे स्व0 जलील शेख की पत्नी है तथा अब वे एवं उनकी पुत्री फातिमा बीबी उक्त भूमि के हकदार है। जब उन्होंने उपरोक्त भूमि का सीमांकन करवाया तब उन्हें पता चला कि विपक्षीगण उक्त भूमि पर अवैध दखल कर लिए है। तदोपरांत अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इस वाद की कार्रवाई शुरू की गई।आवेदिका का कहना है कि विपक्षियों ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लघंन किया है एवं धारा 42 के अंतर्गत उन्हें उच्छेद किया जाय। स्व0 रहीमन बीबी को T.S.Case NO-01/1945 के द्वारा विधिवत रूप से उक्त भूमि का स्वामित्त मिला है। अंचल अधिकारी जामताड़ा के प्रतिवेदन से आवेदिका के इस बात की पुष्टी होती है कि मोदिना बीबी, रहीमन बीबी के एक लोतै पुत्र की विधवा है एवं मुस्लिम विधि के अनुसार वे अपने पुत्री फतीमा बीबी के साथ संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर स्वामित्त कर हक रखती है।" निम्न न्यायालय के आदेश में अंकित है "कि शेख रूस्तम एवं शेख समसेर मौजा-धाँधड़ा के दाग सं0-345 रकवा-0.24 डी0 पर अवैध दखल करते है जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लघंन है। निम्न न्यायालय के अभिलेख पुनः अंकित है कि शेख समसेर पिता शेख सुलेमान व शेख गुडू पिता शेख साहिद व शेख रूस्तम पिता स्व0 शेख रहिम साकिम धाँधड़ा द्वारा दाग सं0-488 के अंश रकवा-23 डी0 पर अवैध दखल करते है जो कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लघंन है।" शेख शमशेर एवं अन्य को प्रश्नगत दागों से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लघंन एवं धारा 42 के तहत उच्छेद किया जाने के विरूद्ध उनके द्वारा कोई साक्ष्य या कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक-07.09.2006 को पारित आदेश न्यायसंगत है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद R.E. Case No-12/2002-03 में दिनांक-07.09.2006 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

Seen
4.3.24

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 192.168.0.1
Date: 2024.03.04 16:04:51 +05:30
Location: 192.168.43.106